न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 63/2019 (2019/00198) वादपत्र

1. नारायण पिता कालु रावत नि.नयाखेड़ा(झड़ोल) त.रायपुर हाल शिवनाथपुरा त.आमेट

वादी

बनाम

1. डालु पिता खेमा रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सोहन पिता केशु रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरू पिता केशु रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादु पिता भैरा रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रोशन पिता भैरा रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुरेश पिता भैरा रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मांगु पिता केरिंग रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 19.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नयाखेड़ा पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 14 में अकिंत आराजी संख्या 406/297 रकबा 0.32 है. स्थित है इसी तरह ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल के बैरून हलका आबादी में स्थित खाता संख्या 340 में अंकित आराजी संख्या 2708 रकबा 0.69 है., आराजी संख्या 2709 रकबा 0.26 है., आराजी संख्या 2749 रकबा 0.05 है., कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 है0 व खाता संख्या 125 में अकिंत आराजी संख्या 3318/2232 रकबा 0.36 है0 स्थित है। जो वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है। प्रमाण में जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ पेश किया है। वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में अकिंत वादग्रस्त आराजियात आ.स. 406/297 रकबा 0.32 है0 व आराजी संख्या 3318/2232 रकबा 0.36 है0 भूमिया पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण के सामलाती थी जिसका वादी द्वारा माननीय न्यायालय में विभाजन का वाद पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2017 को विभाजन की डिक्री पारित की गई जिससे उक्त कृषि आराजियात वादी के हिस्से में आयी। तथा वादी द्वारा सहायक लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर के न्यायालय में पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 08.06.2017 को निर्णय पारित किया गया व निर्णय की पालना में दिनांक 05.06.2019 को वादी की कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी की गई। प्रमाण में पत्थरगढ़ी का मौका रिपोर्ट वादपत्र के साथ पेश है। उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी की जाने पर वादी की ग्राम झड़ोल की आराजी संख्या 2708 रकबा 0.68 है0 पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का अवैध कब्जा पाया गया तथा आराजी संख्या 2709 रकबा 0.26 है0 पर प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का है तथा आराजी 2749 रकबा 0.05 है0 व आराजी संख्या 497 रकबा 0.32 है0 पर प्रतिवादी संख्या 7 का अवैध कब्जा पाया गया। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है तथा कृषि लाभ ले रहे है। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की बेदखली की डिक्री जारी फरमाई जाए कि ग्राम झड़ोल की आराजी संख्या 2708 रकबा 0.68 है0 आराजी संख्या 2709 रकबा 0.26 है0 आराजी संख्या 2749 रकबा 0.05 है0 व ग्राम नयाखेड़ा की आराजी संख्या 406/297 रकबा 0. 32 है0 भूमियो से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जाने की डिक्री सादिर फरमाई जाए। बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की

डिक्री सादर फरमाई जाए कि प्रतिवादीगण वादी की कृषि आराजियात जिसका वर्णन वादपत्र की कलम नम्बर 1 में किया गया है में किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावें तथा वादी की भूमि से हरे वृक्षो की कटाई नही करे तथा वादी की भूमि को नुकसान कारित नही करे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर अवैध कब्जा कर अवैध लाभ प्राप्त करने से वादी को प्रतिवादीगण से वाद दायरी से भूमि का कब्जा दिलाने तक अन्तःकालीन लाभ के रूप में 5000 / —रूपये प्रतिवर्ष दिलाने की डिक्री जारी फरमाई जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7 उपस्थिति होकर कहा कि वादग्रस्त आरातियात पर हमारा कब्जा नही है ओर इस वाद में हमे होई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 6, बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी संख्या 8 फोरमल पक्षकार होने से वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने बयान दिये गये ओर बयान में कहा कि वादवर्णित आराजियात खाता की नकले, नक्शा ट्रेस, पत्थरगढ़ी का पर्चा मोका पेश किये गये। जो प्रदर्श 1 से 7 है ओर अन्त में अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर ममन किया तो पाया कि ग्राम नयाखेड़ा व झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी की खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 14 में अकिंत आराजी संख्या 406 / 297 रकबा 0.32 है. स्थित है इसी तरह ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल के बैरून हलका आबादी में स्थित खाता संख्या 340 में अंकित कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 है0 व खाता संख्या 125 में अकिंत आराजी संख्या 3318 / 2232 रकबा 0.36 है0 दर्ज रकार्ड है। वादी द्वारा दिनांक 05.06.2019 को खातेदारी भूमि पत्थरगढ़ी कराने पर उपरोक्त आराजियात पर पर्चा मोका अनुसार प्रतिवादीगणो का कब्जा पाया गया वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित होकर अपना कब्जा नही होना कहते हुए इस कोई वाद से कोई आपत्ति नही होना भी अकिंत किया उपरोक्त विवरण से पाया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि पर दौराने पत्थरगढ़ी प्रतिवादीगणो का कब्जा था उसी पर्चे मोके के आधार पर वादी द्वांरा वाद पेश किया गया है। जिसे स्वीकार कर वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार कर विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 इस आशय कि बेदखली डिकी जारी कि जाती है कि ग्राम झड़ोल के आराजी संख्या 2708 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 2709 रकबा 0.26 है0 आराजी संख्या 2749 रकबा 0.05 है0 व इसी प्रकार ग्राम नयाखेड़ा की आराजी नम्बर 406 / 297 रकबा 0. 32 है0 भूमियो से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादी को दिलाया जावे एवं बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जाारी कि जाती है कि प्रतिवादीगण वादी की उक्त कृषि आराजियात में किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे ओर वादी की भूमि से हरे वृक्षो की कटाई नही करे ओर न वादी को किसी प्रकार से नुकसान कारित करे इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 63 / 2019 (2019 / 00198) वादपत्र

1. नारायण पिता कालु रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) त. रायपुर हाल शिवनाथपुरा त. आमेट

वादी

बनाम

1. डालु पिता खेमा रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सोहन पिता केशु रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरू पिता केशु रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादु पिता भैरा रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रोशन पिता भैरा रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सुरेश पिता भैरा रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मांगु पिता केरिंग रावत नि. नयाखेड़ा (झड़ोल) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी का वाद पत्र स्वीकार कर विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 इस आशय कि बेदखली डिक्री जारी कि जाती है कि ग्राम झड़ोल के आराजी संख्या 2708 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 2709 रकबा 0.26 है0 आराजी संख्या 2749 रकबा 0.05 है0 व इसी प्रकार ग्राम नयाखेड़ा की आराजी नम्बर 406 / 297 रकबा 0.32 है0 भूमियो से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादी को दिलाया जावे एवं बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि प्रतिवादीगण वादी की उक्त कृषि आराजियात में किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे ओर वादी की भूमि से हरे वृक्षो की कटाई नही करे ओर न वादी को किसी प्रकार से नुकसान कारित करे इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.30 16:15:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: